D. R. Acad.

33

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक दिनांक 15.03.2018

कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 को 11:30 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में स्थित सभा–कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :–

	प्रो0 पी.के. दशोरा माननीय कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	श्री एस.एन. शर्मा प्रतिनिधि नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	नामित सदस्य
3.	डॉ0 कपिल देव शर्मा नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	नामित सदस्य
4.	श्री प्रहलाद गुंजल माननीय विधायक– कोटा उत्तर	सदस्य
5.	डॉ0 संदीप शर्मा माननीय विधायक– कोटा दक्षिण	सदस्य
6.	डॉ. मदन सिंह राठौड़ राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित, शिक्षाविद	सदस्य
7.	डॉ एन.एल. गुप्ता राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद	सदस्य
8.	प्रो0 एन.के. जैमन कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य
9.	प्रो0 आशु रानी कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य	सदस्य
10.	प्रो0 रीना दाधीच कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य	सदस्य

11. डॉ॰ रूपवती पीपल — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित प्राचार्य

12. डॉ॰ हुकम चन्द जैन — सदस्य
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित प्राचार्य

13. डॉ. नीरज मिश्रा — विशेष आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

14. डॉ॰ संदीप सिंह चौहान — सदस्य सचिव
कुलसचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; प्रो॰ जॉन वर्गीस, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य; प्रो॰ अरविन्द कुमार, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

माँ सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन के साथ बैठक की शुरूआत हुई। बैठक प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। तत्पश्चात माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में विगत दिनों हुई विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

- डूंगरज्या के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्य गाँव फतेहपुर गोद लिया गया है जिसे आदर्श ग्राम बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्य/गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी।

- विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर स्कीम की सभी परीक्षाएँ समय पर करवायी गई तथा उनके परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किए जा चुके हैं। वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी है।

- राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के संशोधित छात्र संघ संविधान–2017 के अनुसार 04 पदों पर चुनाव सफलतापूर्वक करवाये गए।

- विश्वविद्यालय में सत्र 2017–18 से प्रारम्भ किए गए B.Sc.- Bio and B.Sc.-Maths पाठ्यक्रम में अपार सफलता प्राप्त हुई। दोनों पाठ्यक्रमों के प्रत्येक वर्ग में 60–60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। सत्र 2018–19 से विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस (एच्छिक विषय के रूप में) पाठ्यक्रम आवश्यक संसाधन व पर्याप्त छात्र संख्या सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

- विश्वविद्यालय में स्थापित स्वामी विवेकानंद शोधपीठ के तत्वाधान में विश्वविद्यालय में "विज्ञान, आध्यात्म व विवेकानंद" विषय पर एक सफल कार्यशाला आयोजित की गई।

- माह अक्टूबर 2017 में विश्वविद्यालय में वंशावली लेखन एवं भारतीय परंपरा अध्ययन शोधपीठ की स्थापना की गई।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में दिनांक 25.09.2017 को पी.टी.ई.टी. व बी.एस.टी.सी. आय से हुई बचत से विश्वविद्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गयी एवं मतदान शिविर का आयोजन किया गया।

- माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार 100 फीट ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया।

- विश्वविद्यालय का NAAC Accreditation हो चुका है, इससे RUSA के 20 करोड़ रूपये के अनुदान के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है।

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर शोधपीठ द्वारा अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर 6 दिसम्बर, 2017 को विश्वविद्यालय में एक विचार–गोष्ठी का आयोजन किया गया।

- सिन्धु अध्ययन शोधपीठ की स्थापना दिनांक 26.12.2017 को की गई। विश्वविद्यालय में बी.एस.टी.सी. से हुई बचत में से राशि रूपये एक करोड़ शोधपीठ के लिये आवंटित की गई। दिनांक 24.02.2018 को सिंधु परंपरा एवं संस्कृति पर विशेष व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- स्वामी विवेकानंद शोधपीठ के द्वारा दिनांक 12–13 जनवरी 2018 को युवा महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

- दिनांक 23.01.2018 को माघ महोत्सव–2018 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में सामूहिक सरस्वती वंदना व सद्बुद्धि यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- छात्र कल्याण प्रकोष्ठ व छात्रसंघ, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 09 से 16 जनवरी 2018 को "खेलकूद व सांस्कृतिक सप्ताह–2018" का आयोजन किया गया।

- स्कूल ऑफ हेरिटेज व वंशावली लेखन एवं भारतीय परम्परा अध्ययन शोधपीठ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं राजस्थान वनवासी कल्याण आश्रम, कोटा के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 08.03.2018 को व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 08.03.2018 को महिला प्रकोष्ठ, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा मनोचिकित्सक व प्रोफेसर डॉ. भरत सिंह शेखावत व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित महेश पंजाबी द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। कोटा आई हॉस्पिटल व रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारियों व विद्यार्थियों को निःशुल्क नेत्र जाँच के कूपन वितरित किये गये।

- दिनांक 10.03.2018 को महिला प्रकोष्ठ, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में पन्नाधाय–एक प्रेरणा पुंज व छात्रा अकादमिक उत्कृष्ट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के 110 प्रतिभाशाली छात्राओं को सम्मानित किया गया।

- दिनांक 04.04.2018 को विश्वविद्यालय के प्रस्तावित पंचम दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से माननीय राजभवन को अवगत कराया गया। राजभवन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह मनाये जाने की एक निश्चित तारीख दिनांक 23 जनवरी प्रबन्ध–मण्डल की गत बैठक में निश्चित कर दी गई थी। तदनुसार दिनांक 23 जनवरी 2017 को विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षान्त समारोह माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में मनाये जाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पत्र राजभवन प्रेषित किया जा चुका था परन्तु राजभवन से दिनांक 04.04.2018 को दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रस्तावित समारोह की तैयारियों के सम्बंध में समितियों का गठन, परीक्षा वर्ष 2016 तक की उपाधियों तथा दिसम्बर 2016 तक की शोध उपाधियों (पीएच.डी.) एवं पदकों का निर्माण करवाकर उनकी जाँच सम्बंधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तदनुसार दीक्षान्त समारोह में वर्ष 2016 तक की परीक्षाओं पीएच.डी. सहित कुल 53,568 उपाधियां तैयार करवाई गई है।

माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन एवं सद्प्रयासों की सदन द्वारा सराहना की गई।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :-

मद संख्या–1	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनाँक 12.08.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की 32वीं बैठक दिनांक 12.08.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–2	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनाँक 12.08.2017 में लिये गये निर्णयों के सम्बंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 12.08.2017 में लिये गये निर्णयों के सम्बंध में की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–3	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनाँक 03.01.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 03.01.2018 में लिये गये निर्णयों के सम्बंध में की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया। विद्या–परिषद् के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.01.2018 में विश्वविद्यालय में निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों के नामकरण बाबत् गठित समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन किया गया है। तद्नुसार भवनों का नामकरण निम्नानुसार किये जाने की प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुष्टि की गई :- **विश्वविद्यालय में निर्मित भवन –** 1. अतिथि गृह – सत्कार (अतिथि गृह) 2. परीक्षा भवन – बृहस्पति भवन 3. अकादमिक भवन – नागार्जुन भवन 4. प्रशासनिक भवन – कौटिल्य भवन 5. छात्रावास – संत पीपा छात्रावास 6. खेल संकुल – मेजर ध्यानचंद खेल संकुल 7. कुलपति आवास – कुलगुरु निलयम् **विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन भवन–** 1. केन्द्रीय पुस्तकालय – डॉ. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय 2. अकादमिक भवन द्वितीय – आर्यभट्ट भवन 3. छात्र अधिष्ठाता एवं छात्रसंघ कार्यालय भवन – मैत्री भवन मद सं. 6 में उल्लेखित निर्णय में सत्र 2018–19 से विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, कला, वाणिज्य व विधि पाठ्यक्रमों की कक्षाओं को प्रारंभ करने संबंधी अनुशंषाओं को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात् ही प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–4	:	**निरीक्षण मण्डल की दिनाँक 25.11.2017 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	निरीक्षण मण्डल की दिनाँक 25.11.2017 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–5	:	**स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 06.10.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 06.10.2017 के कार्यवाही विवरण की समीक्षा कर पुनः आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। समीक्षा करते समय विभिन्न मदों को श्रेणीवार विस्तृत रूप से तैयार करवाये जाने सम्बंधी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये। समीक्षा के दौरान यदि स्पोर्टस बोर्ड को विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त अनुभाग की सेवाओं की आवश्यकता होने पर, वित्त नियंत्रक के माध्यम से सेवाएँ ली जा सकेगी।
मद संख्या–6	:	**"कोटा विश्वविद्यालय अतिथि–गृह प्रबन्धन नियम–2017" को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल द्वारा "कोटा विश्वविद्यालय अतिथि–गृह प्रबन्धन नियम–2017" को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय में अतिथि–गृह संचालन के लिए पृथक से राज्य सरकार से पद सृजित नही होने के कारण, अतिथि गृह कार्य संचालन हेतु नियमित रूप से पद सृजित होने तक 02 पद/व्यक्तियों की सेवाएँ प्लेसमेंट ऐजेंसी के माध्यम से लिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, ताकि अतिथि गृह के कार्यो का सुलभ संचालन हो सके। प्रबन्ध मण्डल ने श्री एस.एन. शर्मा, पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालय अतिथि गृह को क्रियाशील बनाने के लिए तैयार करवाने हेतु किये गये प्रयासों की सराहना की।
मद संख्या–7	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिको हेतु "कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन–2017" को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये "कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन–2017" को लागू किये जाने के सम्बंध में विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित उक्त उल्लेखित नियमो को लागू किये जाने से पूर्व इस सम्बंध में केन्द्रीय अधिनियम व अन्य प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः समीक्षा करवायी जाकर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जावे। माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त नियम/प्रावधान का प्रारूप हिन्दी भाषा में भी प्रस्तुत किया जावे। उक्त मद पर चर्चा के दौरान प्रबन्ध मण्डल को अवगत करवाया गया कि इस विश्वविद्यालय कर्मचारियों (शैक्षणिक व अशैक्षणिक) की स्थापना काल से ही उनके कर्मचारी भविष्य निधि/जीपीएफ/एनपीएस इत्यादि बाबत् उनके वेतन से की गई स्वयं व विश्वविद्यालय अंशदान की कटौती राशि, जो कि इस विश्वविद्यालय में जमा की जाती रही है, उक्त अवधि के लिए ब्याज की गणना कर संबंधित के खाते में जमा नहीं की गई है, उक्त संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस बाबत् कर्मचारी हितो को सर्वोपरी रखते हुये म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर या राज्य सरकार में तत्समय प्रचलित रही ब्याज दरें, जो भी कर्मचारियों के लिए लाभकारी हो, उन्हे लागू किये जाने हेतु

माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–8 : **कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान)–2017 लागू करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट करना।**

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 की पालना में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान)–नियम 2017, को लागू किये जाने के सम्बंध में जारी किये गये आदेश (अन्तर्विभागीय टिप्पणी) क्रमांक 5962–67 दिनांक 02.11.2017 का अनुमोदन किया गया।

इसी सम्बंध में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल का ध्यान राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) (द्वितीय संशोधन)–नियम 2017 लागू किये गये हैं, की ओर आकृष्ट किया गया। उक्त अधिसूचना अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान (द्वितीय संशोधन)–नियम 2017, जो कि दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी है, उक्त नियमों को विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर भी लागू किये जाने सम्बंधी निर्णय लिया गया।

मद संख्या–9 : **कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के स्पोर्टस बोर्ड में प्रबन्ध–मण्डल के सदस्यों एवं शारीरिक शिक्षकों में से मनोनयन किया जाना।**

निर्णय : विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्पोर्टस बोर्ड के गठन हेतु वांछित स्पोर्टस बोर्ड अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य जिनका कि मनोनयन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाना है, उनका मनोनयन निम्नानुसार किया गया :–

1.	प्रो. एन.के. जैमन	अध्यक्ष
2.	प्रो. रीना दाधीच	प्रबन्ध मण्डल सदस्य
3.	श्री संदीप शर्मा (मा. विधायक)	प्रबन्ध मण्डल सदस्य
4.	श्री सी.बी. शर्मा	सम्बद्ध महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक/निदेशक
5.	श्री राजू लाल मीणा	सम्बद्ध महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षक/निदेशक
6.	श्री योगेश कोटियार	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	आदर्श शा. शि. प्र. महाविद्यालय, सुरोठ	विशेष आमंत्रित सदस्य (उक्त महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याता– श्री रविन्द पाल सिंह, श्री संजय सिंह एवं डॉ. धर्मेन्द्र दुबे में से किसी एक को)

मद संख्या–10 : **विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि में दिनांक 01.01.2018 से आगामी 6 माह के लिए पूर्ववत शर्तों पर अभिवृद्धि करने सम्बंधी प्रस्तावों को अनुमोदित करना।**

निर्णय : विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि में दिनांक 01.01.2018 से आगामी 6 माह के लिए पूर्ववत शर्तों पर अभिवृद्धि करने सम्बंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–11 : **डॉ. प्रवीण गोयल, उप कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के निलम्बन आदेशों को बहाल किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है :–**

निर्णय	:	डॉ. प्रवीण गोयल, उप कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के निलम्बन आदेशों को बहाल किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल में विचार–विमर्श किया गया, तद्नुसार उक्त प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि डॉ. गोयल के निलंबन आदेशों को बहाल किये जाने के सम्बंध में जारी किये गये आदेश दिनांक 18.01.2018 पर यथास्थिति रखते हुये, निम्नांकित सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है:– 1. श्री संदीप शर्मा – माननीय विधायक महोदय– **सदस्य** 2. डॉ. एच.सी. जैन– माननीय सदस्य विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल–**सदस्य** 3. डॉ. नीरज मिश्रा – वित्त नियंत्रक–**सदस्य** कुलसचिव द्वारा उक्त जांच समिति की बैठक आयोजित करवाये जाने सम्बंधी आदेश जारी किये जावेंगे तथा जाच समिति को आवश्यक सूचनाऐं एवं दस्तावेज भी उपलब्ध करवाये जावेंगे। उक्त गठित जांच समिति प्रकरण के विधिक पहलूओं को दृष्टिगत रखते हुये डॉ. गोयल व उक्त प्रकरण के प्रतिपक्षीगण (महाविद्यालय प्रतिनिधियों) द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदनों के संदर्भ में परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उक्त जांच रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखी जाकर, उक्त प्रकरण पर अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा।
पूरक मद सं.–01	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2003 (यथा संशोधित अधिनियम–2017) की धारा 11(3)(क)में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति चयन हेतु गठित की जाने वाली खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य के मनोनयन पर विचार सम्बंधी प्रस्ताव।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2003 (यथा संशोधित अधिनियम–2017) की धारा 11(3)(क)में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति चयन हेतु गठित की जाने वाली खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य के मनोनयन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इस सम्बंध में हुई चर्चा के दौरान प्रो. मदन सिंह राठौड़, माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रो. राकेश कोठारी, माननीय कुलपति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव किया गया, उक्त प्रस्ताव को डॉ. नारायण लाल गुप्ता, माननीय सदस्य द्वारा समर्थित किया गया। तदोपरान्त विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से प्रो. राकेश कोठारी, माननीय कुलपति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को खोजबीन समिति (Search Committee) में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा नाम निर्देशित सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया गया।
पूरक मद सं.–02	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत् शिक्षकों के कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम (सी.ए.एस.) के तहत् पदोन्नति प्रदान करने हेतु आयोजित करवायी गई Screening cum Evaluation Committee की बैठक की अनुशंसाओं के बन्द लिफाफे खोले जाकर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ :–**

(8)

निर्णय : करियर एडवान्समेन्ट स्कीम (सी.ए.एस.) के तहत् पदोन्नति प्रदान करने के सम्बंध में दिनांक 15.02.2018 को संपन्न हुई **Screening cum Evaluation Committee** की बैठक की अनुशंषाओं का विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया, तदनुसार निम्नांकित शिक्षकों को उक्त अनुशंषाओं में उल्लेखित तिथि से करियर एडवान्समेन्ट स्कीम (सी.ए.एस.) के तहत् पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया:—

क्र.सं.	नाम व पद	पदोन्नति की स्टेज	सी.एस. के तहत् पदोन्नति प्रदान करने की तिथि
1.	डॉ. नारायण लाल हेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिक्स)	1. स्टेज 01 से स्टेज 02 2. स्टेज 02 से स्टेज 03	30.08.2012 31.12.2017
2.	डॉ. जयप्रकाश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल)	1. स्टेज 01 से स्टेज 02 2. स्टेज 02 से स्टेज 03	30.08.2012 30.08.2017
3.	डॉ. मीनू माहेश्वरी, असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य एवं प्रबन्ध)	1. केवल स्टेज 01 से स्टेज 02	14.12.2014

मद संख्या—12 : अन्य मद, आसन की अनुमति से।

निर्णय : 12.1 विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामनिर्देशित किये जाने सम्बंधी प्रकरण पर आसन की अनुमति से चर्चा की गई।

उक्त सम्बंध में चर्चा उपरान्त प्रो. आशुरानी, प्रोफेसर, प्योर एण्ड एप्लाइड केमेस्ट्री, को.वि.को., कोटा को विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामनिर्देशित सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(डॉ. संदीप सिंह चौहान)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव